राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्र. एफ 27(59)ग्रावि/ग्रुप–5/आईएवाई/जीओआई/आवास सॉफ्ट/2015–16 दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

जिला कलेक्टर पदेन जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
जिला समस्त राजस्थान।

विषय :– इंदिरा आवास योजना व महात्मा गांधी नरेगा योजना के सॉफ्टवेयर के इन्टीग्रेशन के संबंध में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार का पत्र क्रमांक जे–11012/10/ 2015–आरएच दिनांक 12.10.2015

भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र संलग्न का संदर्भ लेवें जिसमें मंत्रालय के पूर्व पत्र दिनांक 27.03.2015 की निरन्तरता में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ कन्र्वजेन्स कर 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवस उपलब्ध करवाने के क्रम में निर्देश प्रदान किये है।

महात्मा गांधी नरेगा व इंदिरा आवास योजना के संचालन में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेशन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है।

1. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी होने के साथ ही इस योजना के स्वीकृति क्रमांक /दिनांक से ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के सॉफ्टवेयर में कार्य स्वतः नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित होगा, जिसके अन्तर्गत अधिकतम 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवस देय होंगे, अर्थात महात्मा गांधी नरेगा से अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। स्वतः प्रदर्शित ये कार्य अन्य कार्यों से भिन्न नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित होंगे, जिन्हें व्यक्तिशः नहीं हटाया जा सकेगा।
2. इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी की स्वीकृति नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित होने के उपरान्त लाभार्थी को निम्नानुसार इंदिरा आवास निर्माण कार्य हेतु मस्टरोल जारी किये जावेंगे :–
   - 2.1 लाभार्थी को सर्वप्रथम आवास कार्य ही आवंटित करें, मस्टरोल जारी किये जाने की दिनांक के दिन, लाभार्थी को वार्षिक मानव दिवसों में से अवशेष दिवसों के बराबर अधिकतम 90 दिवस हेतु मस्टरोल जारी किये जावेंगे।
   - 2.2 यदि लाभार्थी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा की अधिकतम सीमा तक कार्य कर लिया गया हो तब अन्य जॉब कार्डधारी को लाभार्थी के इंदिरा आवास निर्माण हेतु कार्य आवंटित किया जा सकेगा।

अन्य प्रक्रियायें अर्थात ई–मस्टरोल जनरेशन तथा मजदूरी का भुगतान आदि आदेश पूर्ववत् रहेंगे एवं इस संबंध में नरेगा सॉफ्ट पर आवश्यक परिवर्तन भारत सरकार द्वारा किया गया है।

अतः जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना व इंदिरा आवास योजना क्रियान्वित कर रहे संबंधितों को समुचित आदेश प्रसारित करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\RkJain (Po)\Kavita (MIS)\Kavita_Letter.docx